| आदेश की क्रम सख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|

# प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

## बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम संख्या 183/13–14

## सिद्वनाथ सिंह वनाम् रामजन्म सिंह एवं अन्य

## आदेश

18.1.15 आवेदक सिद्वनाथ सिंह, पिता स्व० बालदेव सिंह,निवासी गाम–करहरी,थाना किंजर, जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकारों का प्रख्यापन एव आशंकित अवैध एव अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी द्वारा बेदखली के प्रयास से रोकने का अनुरोध किया है। साथ ही विवादित भूमि का नापी कराने एवं बेदखली की स्थिति में कब्जा दिलाने का भी अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम–करहरी,थाना नं० 220 थाना–करपी, जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

| खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|
| 35 नया<br>29 पुराना | 303 नया<br>212 पुराना | 9 डी० | उत्तर–नीज, दक्षिण–नेपाल सिंह, पूरब–बैजनाथ सिंह, पश्चिम–तेतर सिंह |
| | 303 नया<br>213 पुराना | 16 डी० | उत्तर–परीखा सिंह, दक्षिण–बैजनाथ सिंह ,पूरब–रामदेव सिंह पश्चिम–बाबुलाल सिंह |

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

### आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक ने निबंधित वसिका से धुजी देवी पति रामस्वरूप सिंह से कय किया है जिसकी पहचान धुजी देवी के पुत्र श्यामनंदन सिंह और गवाह राम प्रसिद्व सिह ग्राम करहरी है।

(2) आवेदक उक्त वसिका के आधार पर विधिवत दाखिल खारिज कराकर बिहार सरकार को राजस्व का भुगतान कर रहे है जो प्रश्नगत् भूमि पर प्रार्थी का वास्तविक एव भौतिक दखल कब्जा को प्रमाणित करता है।

(3) उक्त वसिका को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द धोषित नहीं करवाया गया

है और ना ही आवेदक के दाखिल खारिज के विरूद्व विपक्षी के द्वारा कोई अपील लायी गई है,फलतः उक्त वसिका और दाखिल खारिज आदेश आज तक विपक्षीगण पर बधनकारी है।

(4) विवादित भूमि को आवेदक द्वारा विगत कुछ वर्षो से रामजन्म सिंह प्रतिवादी को मनी बटाई पर जोत कोड़ करने हेतु दे रखा था और बटाई के तौर पर अनाज प्राप्त करते रहे,फलतः परमीसीव पजेशन के आधार पर उक्त भूमि पर वास्तविक दखल कब्जा प्राप्त नहीं होती है।

(5) प्रश्नगत् भूमि का पुराना सर्वे खतियान शिवनारायण सिंह के नाम से है जिन्हें दो पुत्र रामसेवक सिंह वो रामेश्वर सिह थे। रामेश्वर सिंह अविवाहित स्थिति में अपने भाई रामसेवक सिंह के साथ रहते हुए स्वर्गवास कर गये। फलतः सभी खतियानी भूमि रामसेवक सिह धारित किये। रामसेवक सिह अपने पीछे एक मोस्मात एव दो पुत्रियों धुजी देवी एवं पुनियॉ देवी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। फलतः सभी तीनों उतराधिकारी रामसेवक सिंह की छोड़ी गयी खतियानी भूमि में 1/3 के हक एव अधिकारी हुए। दाखो देवी ने अपने अंश भूमि को अपनी पुत्री धुजी देवी को 19.01.1985 को बख्शीस कर दिया। फलतः सभी खतियानी भूमि में धुजी देवी को दो तिहाई हिस्सा प्राप्त वो हासिल हुआ और पुनिया देवी को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ।

(6) कालानतर में धुजी देवी एवं पुनियॉ देवी के बीच हुई आपसी खानगी बॅटवारा से प्रश्नगत् भूमि धुजी देवी को प्राप्त हुआ जिसे धुजी देवी ने आवेदक के हाथों 1985 में बिक्री कर दिया।

(7) धुजी देवी द्वारा न केवल आवेदक को बल्कि अन्य ब्यक्तियों को भी निबंधित केवाला से जमीन बिक्री किया है जिसमें साक्ष्य स्वरूप श्री देवशरण यादव,श्री लाल बहादुर यादव और श्री श्याम यादव बगैरह का केवाला संलग्न किया जा रहा है और क्रय की गई भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा है जो धुजी देवी का खतियानी जमीन पर हक,दावा एवं अधिकार को प्रमाणित करता है।

(8) दाखो देवी को अपने नाती रामजन्म सिंह,श्यामनदन सिंह और रविन्द्र सिंह के पक्ष में सम्पूर्ण खतियानी भूमि के 1/2 भाग को बख्शीस करने का कोई अधिकार नहीं था। उपरोक्त बख्शीसनामा के आधार पर हुए दाखिल खारिज वाद संख्या 495/98--99 को भूमि सुधार उप समाहर्ता,जहानाबाद के द्वारा अपीलवाद संख्या 03/2000--2001 के द्वारा खारिज किय जा चुका है और दानपत्र को अवैध धोषित

किया गया है। उसी शून्य दस्तावेज के आधार पर विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से आवेदक को बेदखल करने का प्रयास कर रहे है।

(9) बहस के क्रम में विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक दस्तावेज,जो कि दाखो देवी ने पूर्व के दस्तावेज को रद्द करने हेतु लिखी थी,प्रस्तुत किया था। उक्त दस्तावेज कानून की दृष्टि में एक क्षण भी ग्राह्य योग्य नहीं है क्योंकि किसी दस्तावेज के आधार पर पूर्व निष्पादित निबंधित दस्तावेजों को रद्द घोषित करने का अधिकार दान प्राप्तकर्ता को नहीं है।

(10) विपक्षी के द्वारा एक सादा वसीयतनामा,जो रामईश्वर सिह द्वारा पुनिया देवी के पक्ष में 1971 में की गई थी,दाखिल किया गया है। उक्त वसीयतनामा के आधार पर कोई प्रोबेट केस जिला जज के न्यायालय में नहीं लाया गया है और जबतक प्रोबेट के माध्यम से वसीयतनामा की शुद्वता एव प्रमाणिकता की जॉच नहीं हो जाती है तबतक उक्त वसीयतनामा साक्ष्य के रूप मे ग्रहण योग्य नही हैं। साथ ही उक्त वसीयतनामा मे प्रश्नगत् प्लॉट 212 एव 213 अंकित नहीं है।

(11) जहॉ विपक्षी के द्वारा विवादित भूमि पुनिया देवी को सादा वसीयतनामा से प्राप्त होने की बात कही गई है वहीं दिनांक 13.08.14 को स्थल जॉच के क्रम में पुनिया देवी के पति रामानंद सिंह ने बॅटवारा से प्राप्त होने की बात कहीं है जो तथ्य एक दूसरे से अपने आप में विरोधाभाषी है,वहीं विपक्षी की ओर से धुजी देवी एव पुनिया देवी के बीच हुई बॅटवारा का कोई कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(12) स्थल जॉच में धुजी देवी के पुत्र श्याम नंदन सिंह जो प्रश्नगत् वसिका मे साक्षी है और धुजी देवी के नाती जो पहचानकर्ता है ने विवादित भूमि पर आवेदक के कब्जा को स्वीकार किया है। इसी तरह साक्षी बैजनाथ सिह ने भी आवेदक द्वारा धुजी देवी से रजिस्ट्री करवाने की बात स्वीकार किया है,और उक्त विवादित भूमि पर सिद्वनाथ सिंह खेती करते थे और विगत 10 वर्षो से रामजन्म सिंह को खेत बटाई पर दिये हुए थे। एक अन्य साक्षी सुरेश सिंह ने भी विवादित भूमि पर सिद्वनाथ सिंह के कब्जा की बात को स्वीकार किया है।

(13) बी०एल०डी०आर० 2009 के अन्तर्गत इस विद्वान न्यायालय को न तो हकियत और ना हीं कब्जा देखने का अधिकार प्राप्त है,उसी तथ्य पर माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के डबल खण्ड पीठ के द्वारा क्षेत्राधिकारिता को स्पष्ट

करते हुए अवधारित किया है कि विद्वान न्यायालय को केवल अनुसूचि 01 में दर्ज तथा धारा 4 (1) में विवादित भूमि पर केवल निर्णय लेने का अधिकार है। माननीय खण्ड पीठ ने सख्ती से टाईटिल एव कब्जा जो कि व्यवहार न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता की विषय वस्तु है,उसमें हस्तक्षेप करने पर रोक लगायी है।

उपरोक्त तत्यो के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

**विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–**

(1) वादी के द्वारा दाखिल वाद अर्जी की कण्डिका 06 में यह वर्णन किया गया है कि धुजी देवी के पिता रामसेवक सिह के मृत्यु पश्चात् उनके उत्तराधिकारी के रूप में पत्नी दाखो देवी एवं दो पुत्री धुजी देवी एवं पुनिया देवी हिन्दू लॉ ऑफ मिताक्षर के अनुसार समान अंश के उंतराधिकारिता में हुई थी वहीं दाखो देवी ने निबंधित बख्शीस से अपना अंश लिख दिया। इसके साक्ष्य के रूप में वादी के द्वारा एक चिरकुट दाखिल किया गया है लेकिन निबंधित बख्शीसनामा का दस्तावेज दाखिल नही किया गया है लेकिन सुनवाई के दौरान लिखित बहस के साथ दाखो देवी के द्वारा निष्पादित निबंधित बख्शीसनामा दस्तावेज दाखिल करने का आश्वासन दिया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि दाखो देवी के द्वारा कोई निबंधित बख्शीसनामा निष्पादित नहीं किया गया है।

(2) धुजी देवी को बिना बॅटवारा के सम्पूर्ण भूमि बिक्री करने का कोई आधार नहीं था। साथ हीं स्थल पर भी आज तक वादी का तथाकथित केवाला ऑपरेटिव नही है जो श्रीमान् के स्थल निरीक्षण से स्वतः स्पष्ट हो चुका है क्योंकि प्रश्नगत् भूमि के 1/2 अश उतर तरफ जहॉ धुजी देवी की बहन पुनिया देवी दखल काबिज है जिसे वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि दक्षिण तरफ प्रतिवादी का शांतिपूर्वक दखल कब्जा बना हुआ है।

(3) स्थल निरीक्षण के समय जो व्यान दिया गया है उसके अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादी का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है क्योंकि वादी स्वयं व्यान दिये है कि भूमि बॅटाई रूप में जोतने को प्रतिवादी को दिये हुए थे तथा उनके भाई के द्वारा भी बॅटाई पर देने की बात कही गई है।

(4) वादी के द्वारा वाद अन्तर्गत जो वंशावली भी दिया गया है वह आधा--अधुरा है,सही वशावली प्रतिवादी द्वारा अपने आपत्ति आवेदन में वर्णित किया गया है जो

निम्नवत है।

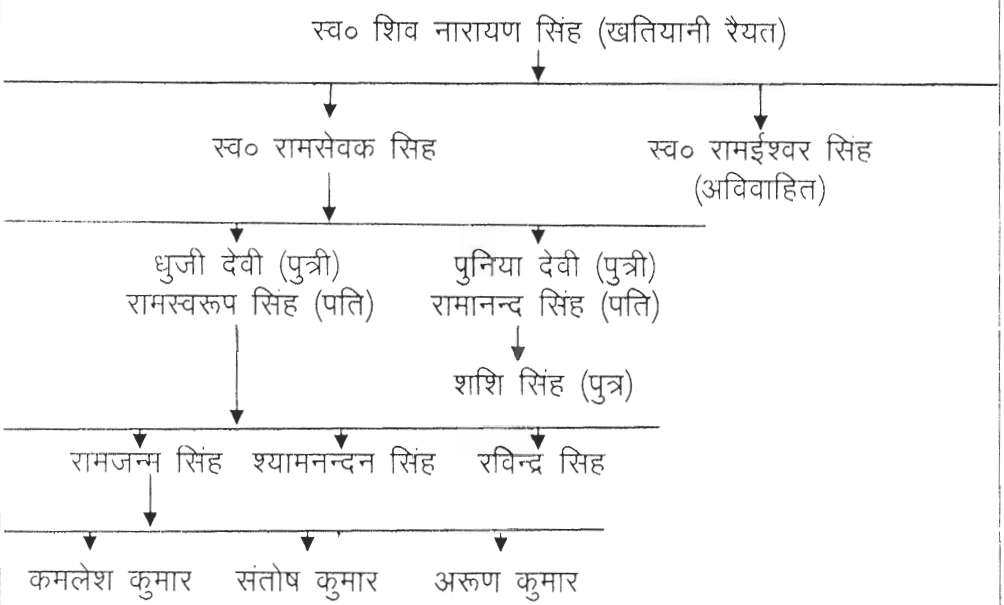


(5) वशावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्व० दाखो कुँवर,रामजन्म सिंह प्रतिवादी सख्या 01 की नानी थी।

(6) अपने पति के मृत्यु पश्चात् दाखो कुँवर अपने सम्पूर्ण भूमि का 1/2 अंश कमलेश कुमार,सतोष कुमार व अरूण कुमार को निबंधित बख्शीसनामा कर दी तथा शेष 1/2 अंश की भूमि पर पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार पुनिया देवी अपने नैहर में बस गई तथा आज तक 1/2 अंश की भूमि पर कमलेश कुमार,संतोष कुमार व अरूण कुमार खेती बारी कर रहे है तथा 1/2 अंश की भूमि पर पुनिया देवी खेती बारी कर रही है जो वाद में सन्निहित भूमि पर श्रीमान् द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान 1/2 अंश पर पुनिया देवी का कब्जा पाया गया है साथ ही इस अवधि में पुनिया देवी के पति रामानन्द सिंह एवं अन्य का व्यान भी लिया गया है।

(7) स्थल पर भी खाता न० 35/29,प्लॉट नं० 302/312,रकवा 9 डी० तथा प्लॉट न० 303/213,रकवा 16 डी० का नहीं है बल्कि $4\frac{1}{2}$ डी० 98 का अलग-अलग टोपरा वर्षो पूर्व से प्रतिवादी कमलेश कुमार वगैरह तथा पुनिया देवी का कायम है जो स्थल निरीक्षण कर स्पष्ट किया जा चुका है।

(8) प्रश्नगत् भूमि का 1/2 अश भूमि का डिमाण्ड भी पुनिया देवी, पति रामानन्द सिंह के नाम कायम है तथा बिहार सरकार को राजस्व का भुगतान किया जा रहा

है।

(9) वशावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जब धुजी देवी दो बहन है,तब सम्पूर्ण प्रश्नगत् 25 डी० भूमि बिना कोई बॅटवारा के धुजी देवी को बिकी करने का न तो आधार था और न कोई अधिकार,क्योंकि वादी–दाखों कुँवर द्वारा तकाकथित बख्शीसनामा दस्तावेज न्यायालय के निर्देश के बावजूद दाखिल करने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि इस तरह का कोई बख्शीसनामा प्रतिवादी रामजन्म सिंह की नानी के द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है।

(10) प्रतिवादी कमलेश कुमार तीन भाईयों को जो निबंधित बख्शीस किया गया है,उसकी कोई चुनौती समक्ष न्यायालय में नहीं दिया गया है।

(11) दिनाक 13.08.2014 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं,उभय पक्ष एव ग्रामीणों की उपस्थिति में श्रीमान् के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था। **प्रथम गवाह** रामानन्द सिंह,पिता स्व० ब्रहमदेव सिंह जो पुनिया देवी के पति है,ने स्पष्ट ब्यान दिये कि धुजी देवी और पुनिया देवी के बीच बॅटवारा हुआ तथा विवादित भूमि पर पुनिया देवी और कमलेश का कब्जा है। **दूसरा गवाह** मनोज कुमार,पिता नन्दकिशोर सिंह साकिन करहरी,थाना किंजर,जिला अरवल उस पंचायत के वार्ड सदस्या के पति भी है,के द्वारा यह ब्यान दिया गया कि विवादित भूमि में आधा पर रामानन्द सिह अर्थात् पुनिया देवी के पति तथा आधा पर कमलेश का कब्जा है और यह कब्जा हमारे याद से है। **तीसरा गवाह** श्यामनन्दन सिंह है जो स्वतत्र गवाह साक्ष्य नही है क्योंकि तथाकथित केवाला के पहचानकर्त्ता है ने ब्यान दिये कि भूमि पर रजिस्ट्री के बाद सिद्वनाथ सिह का कब्जा था अर्थात् कब बेकब्जा किया गया,इसका कोई ब्यान नही दिया गया। **चौथा गवाह** बैजनाथ सिह वादी सिद्वनाथ सिंह के सहोदर भाई है,जिन्होंनें बताया कि विवादित भूमि सिद्वनाथ सिंह का है,रजिस्ट्री के बाद खेती करते थे,रामजन्म सिंह को बॅटाई पर दस वर्ष पूर्व दिया था। **पॉचवा गवाह** सुरेश सिंह,पिता स्व० राम परिखा सिह,साकिन करहरी,थाना किजर,जिला अरवल विवादित भूमि सिद्वनाथ सिंह और रामजन्म सिंह दोनों का कब्जा बतलाये है अर्थात् पुनिया देवी के कब्जा के सबंध मे इन्होंनें कोई ब्यान नहीं दिया जबकि स्थल निरीक्षण के दौरान 1/2 अंश पर जानिब उत्तर तरफ पुनिया देवी का मकई का फसल लगा पाया गया है। **छठा गवाह** सिकन्दर सिंह,पिता रूपन सिंह विवादित भूमि सिद्वनाथ सिंह का बतलाते है लेकिन इनके द्वारा शपथ

पत्र दिया गया है कि मैं प्रतिवादी का कब्जा बतलाया हूँ। **सातवाँ गवाह** नागेन्द्र कुमार,पिता स्व० लाल किशोर सिंह विवादित भूमि अपने याद से रामजन्म सिंह अर्थात् प्रतिवादी के जोत–कोड आबाद करने का ब्यान दिये है। **आठवाँ गवाह** जयकिशोर सिंह,पिता स्व० दोड़ा सिंह,साकिन करहरी,थाना किंजर,जिला अरवल विवादित भूमि सिद्वनाथ सिंह,धुजी देवी से लिखवाये है या नहीं इन्हें मालूम नहीं लेकिन खेती कभी जोतेते हुए नहीं देखें। **नॉवा गवाह** राजमती देवी,पति स्व० प्रमोद सिंह,साकिन करहरी,थाना किजर,जिला अरवल विवादित भूमि रामजन्म सिंह के द्वारा जोतने का ब्यान दिया है जो भूमि के चौहद्दीदार है। **दसवाँ गवाह** धुजी देवी के द्वारा बतलाया गया कि जमीन मैं नहीं बेची हूँ,विवादित भूमि दोनों बहन की बतलायी। उपरोक्त गवाहों,खासकर जो स्वतंत्र एवं चौहद्दीदार साक्षी है,के ब्यान से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर कभी भी वादी का कब्जा नहीं रहा है और स्थल निरीक्षण से भी 1/2 अंश की भूमि पर जानिब उत्तर तरफ,पुनिया देवी तथा दक्षिण तरफ प्रतिवादी का कब्जा पाया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं एवं उभय पक्षों के समक्ष दिनांक 13.08.14 को मेरे द्वारा स्थल जॉच किया गया। स्थल जॉच में विवादित भूमि के आधा अंश पर रामानन्द सिंह पिता स्व० ब्रह्मदेव सिंह का कब्जा पाया गया। उनके भूमि पर मकई लगा हुआ था। आधा अंश परती था। उपस्थित लोगों ने भी विवादित भूमि के अश भाग पर रामानन्द सिंह एव अश भाग पर विपक्षी रामजन्म सिंह का कब्जा बताया। आवेदक के भूमि बिक्रेता धुजिया देवी पति स्व० रामस्वरूप सिह ने भूमि बिक्री करने की बात से इनकार किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज करने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, स्थल जॉच एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा दिनाक 27.03.1985 के केवाला के आधार पर किया है जो उन्होंनें धुजी देवी पति रामस्वरूप सिंह से प्राप्त किया है जबकि विपक्षीगण ने विवादित भूमि पर दावा दिनाक 01.06. 1989 के बख्शीसनामा के आधार पर किया है जो विपक्षी सख्या 01 रामजन्म सिह सिंह को अपने नानी दाखो देवी से प्राप्त हुआ है। आवेदक का कहना है कि विवादित भूमि उनके भू–बिक्रेता धुजी देवी को अपने मॉ दाखों देवी से दिनाक 19. 01.1985 को बख्शीस में प्राप्त हुआ था। परन्तु उनके द्वारा बख्शीस का दस्तावेज

न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया सिर्फ एक चिरकूट दाखिल किया गया। न्यायालय द्वारा आवेदक को बख्शीसनामा की प्रति दाखिल करने हेतु कई बार निदेश दिया गया परन्तु आवेदक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। बगैर बख्शीसनामा के प्रति का आवेदक का धुजी देवी को उनकी माँ से बख्शीसनामा में प्राप्त भूमि की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि के खतियानी रैयत शिवनारायण सिंह थे जिनकी मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र रामसेवक सिह सपूर्ण भूमि के उतराधिकारी हुए। रामसेवक सिंह अपने पीछे अपनी पत्नी दाखों देवी एव दो पुत्रियॉ धुजी देवी एवं पुनिया देवी को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। इस प्रकार विवादित भूमि के उतराधिकारी दाखों देवी,धुजी देवी एवं पुनिया देवी हुई और सभी को 1/3 अश प्राप्त हुआ। आवेदक के द्वारा ऐसा कोई कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि उपरोक्त तीनों ब्यक्तियों द्वारा स्थल पर अंश का निर्धारण किया जा चुका है। बगैर अश निर्धारण के विवादित भूमि को धुजी देवी द्वारा दिनाक 27.03.85 को आवेदक को बिक्री किया गया है जो उचित नहीं है। विवादित भूमि पर भी आवेदक का कब्जा नहीं है। विवादित भूमि के आधा अंश पर पुनिया देवी के पति रामानंद सिंह का कब्जा पाया गया जिन्हें इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया।

उपरोक्त परिस्थिति में आवेदक के अनुतोष को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है,वाद को खारिज किया जाता है। आवेदक को निदेश दिया जाता है कि वे सर्वप्रथम अपने केवाला के आधार पर विवादित भूमि पर अपना स्वत्व का निर्धारण सक्षम न्यायालय से करायें।

लेखापित एवं संशोधित

15.11

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

15.11

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।